न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—92/17 (2017/00181) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—याकुब पिता पीरू पीनारा (मुसलमान) निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—रफीक पिता जमाल पीनारा निवासी तौलास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—मांगीलाल पिता बालु लुहार निवासी तेलीखेड़ा मोखुन्दा तहसील रायपुर के द्वारा विक्रय से
1/1—पारस पिता मीठालाल लुहार निवासी तेलीखेड़ा मोखुन्दा तहसील रायपुर
2—मुबारिक पिता हाजी मोहम्मद मंसुरी निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—ईसाक पिता हाजी मोहम्मद मंसुरी निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—अफजल पिता हाजी मोहम्मद मंसुरी निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—राजमल पिता मोहनलाल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—मुलचन्द पिता रोशनलाल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—पारसीदेवी बैवा रोशनलाल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा जरिये व्यवस्थापक शाखा मोखुन्दा
9—ग्राम सेवा सहकारी समिति शाखा मोखुन्दा जरिये व्यवस्थापक शाखा मोखुन्दा
10—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—घीसा पिता पीरू पीनारा (मुसलमान) निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12—शफी मोहम्मद पिता कासु पिनारा निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 13.08.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम तेलीखेड़ा उर्फ लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1528 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 1529 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1530 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 1531 रकबा 0.14 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.53 है0 भूमि खाता संख्या 92 व 100 पर दर्ज रेकार्ड है प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2071 से 2075 तक मय नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 1528, 1529, 1530, 1531 में आवागमन, पैदल, संज, बैल, टेक्टर आदि से विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 7 की आराजी संख्या 1542, आराजी संख्या 1543, आराजी संख्या 1544, आराजी संख्या 1547 मै होकर सदैव से ही करते चले आ रहे है। इसी रास्ते से होकर प्रार्थीगण अपनी आराजियात मैं फसल काश्त करते है एवं मवेशी वगैरह लाते ले जाते रहे है। उक्त रास्ता सदैव से ही कदमी होकर था। फसल काश्त करते समय प्रार्थीगण इसी रास्ते से होकर ट्रेक्टर बैलगाड़ी आदि ले जाकर अपनी आराजियात में फसल बोते चले आ रहे है विपक्षीगण उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की कोई बाधा या अवरोध उत्पन्न नही किया लेकिन विपक्षी संख्या 1 प्रार्थीगण के आवागमन करने में हर वर्ष बाधा उत्पन्न करता रहता है तथा उसने अपनी आराजी संख्या 1542 के उत्तरी कोने पर जो तेलीखेड़ा ग्राम की आबादी से लगता हुआ है पर बड़ी लोहे की फाटक लगाकर बन्द कर दिया

है इस वर्ष फसल लाने ले जाने में ऐतराज किया और प्रार्थीगण के रास्ते को फाटक लगाकर बन्द कर दिया है। जिससे प्रार्थीगण आराजियात में नही जा पा रहे है तथा आगे अन्य विपक्षीगण ने भी जगह जगह अवरोध कर रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रखी है। प्रार्थीगण ने उनके रास्ते के रूप में दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 लगायत 7 की आराजी संख्या 1542, 1543, 1544, 1547 की उत्तरी पश्चिमी पाली पर जो तेलीखेड़ा आबादी से लगती हुई है। में स्थित है को राजस्व रेकार्ड में 12 फीट चोड़ाई के रूप में नियमानुसार डीएलसी राशि जमा कर उक्त रास्ते बिलानाम रास्ते के रूप मे दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 27.09.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिकार पत्र सुनिल जैन द्वारा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया एवं विपक्षी संख्या 2, 3, 6, 11, 12 की ओर से अधिकार पत्र जाकिर हुसैन द्वारा प्रस्तुत किया जिसे शामिल फाईल किया गया तथा विपक्षी संख्या 4, 5, 7 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 8 लगायत 10 फोरमल पक्षकार होने से कोई कार्यवाही नही चाहते है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की उक्त आराजियात से कोई सरोकार नही है। प्रार्थीगण द्वारा बताई गई आराजी विपक्षी संख्या 1 लगायत 7 के खातेदारी अधिकार एवं संयुक्त कब्जे काश्त की नही है। प्रार्थीगण का कभी भी इस आराजी से आवागमन नही रहा है एवं जवाबदाता की आराजी चौड़ाई में काफी कम है जिसमे से 12 फीट चौड़ा रास्ता दिया जाता है तो जवाबदाता की आराजी में काश्त करने में भारी असुविधा होगी। प्रार्थीगण को अपनी आराजी में जाने हेतु दक्षिण दिशा की ओर अवस्थित आराजी संख्या 1577 जिसमे मौके पर रास्ता विद्यमान है मे से होकर सदैव आवामन करते चले आ रहे है और यही रास्ता प्रार्थीगण के लिये सरल व सुगम है। प्रार्थीगण ने अपनी सुविधा हेतु उक्त रास्ता लेना चाहते है प्रार्थीगण 1 व 2 अलग अलग खातेदार है जिनको अलग अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था जो नही किया इसी तरह विपक्षी संख्या 2, 3, 6, 11, 12 की ओर से जवाब में अकंन किया कि प्रार्थना पत्र के कॉलम 1, 2, 3, 4, 5 वर्णित कथन को स्वीकार करते हुए अकित किया कि आवागमन का एक मात्र रास्ता विपक्षी की एक की भूमि मे से होकर जाता है इसके अलावा विपक्षीगण की आराजियात में आवागमन का कोई रास्ता नही है। विपक्षी की आराजी 1542 में 12 फीट चोड़ा बिलानाम सरकार दर्ज कराया जाना न्यायोचित है।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर के द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि उक्त वाद वर्णित आराजियात 1528, 1529, 1530, 1531 पर वर्तमान में कोई रास्ता नही बना हुआ है। मौके पर उक्त नम्बरान 1528, 1529, 1530, 1531 में वर्तमान में आवागमन 1542, 1543, 1544 एवं 1547 की पश्चिमी मेड़ के सहारे सहारे होकर नक्शे में लाल स्याही से दर्ज अंकन अनुसार आवागमन किया जा रहा है। मौके पर उक्त लाल स्याही से दर्ज रास्ते के अलावा आ0न0 1525, 1526, 1527 की मध्य मेड़ के दोनो तरफ संलग्न नक्शे में हरि स्याही से दर्ज अनुसार आवागमन किया जा सकता है। वर्तमान में उक्त आराजियात पर आराजी नम्बर 1542, 1543, 1544 एवं 1547 की पश्चिमी मेड़ के सहारे सहारे होकर जाया जा रहा है। आ0न0 1542 की पूर्वी तथा आ0न0 1543 की सम्पर्क मेड़ पर कच्चे

पत्थर का कोट कर रखा है इनके इस कोट पर आगे आ0न0 1544 एवं 1547 मे जाया जाता है। रास्ते हेतु खसरा नम्बर अनुसार आने वाली भूमि आ0न0 1542 रकबा 0.17 है मे से 416 वर्गमीटर आ0न0 1543 रकबा 0.15 है मे से 144 वर्गमीटर, आ0न0 1544 रकबा 0.15 है0 मे से 152 वर्गमीटर, आ0न0 1547 रकबा 0.14 है0 मे से 160 वर्गमीटर कुल 572 वर्गमीटर भूमि आती है। मौके पर वैकल्पिक रास्ते को हरी स्याही से दर्शाया है जो आ0न0 1525 एवं 1526, 1527 की मध्य मेड़ के दौनो ओर 2–2 मीटर निकलता है। प्रस्तावित रास्ते हेतु जो भूमि नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गयी है उनकी डीएलसी दर अनुसार आराजी संख्या 1542 मे से रकबा 0.0416 है0 की दुगुनी राशि 50738 रूपये, आराजी संख्या 1543 मे से 0.0144 है0 की दुगुनी राशि 17562 रूपये, आराजी संख्या 1544 मे से 0.0152 है0 की दुगुनी राशि 18538 रूपये, आराजी संख्या 1547 मे से 0.0160 है0 की दुगुनी राशि 19514 रूपये बनती है।

प्रकरण में दोनो अधिवक्तओ की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थीगण विपक्षी 1 की खातेदारी आराजी में होकर अपनी खातेदारी भूमि में जाते है। विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी भूमि आबादी भूमि से लगती हुई है और विपक्षी संख्या 1 के द्वारा आबादी भूमि में पट्टा बना लिया गया है जिसकी कार्यवाही ए.डी.एम. कोर्ट में विचाराधीन है और स्थाई लोक अदालत भीलवाड़ा से भी राहत नही दी गई है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

विपक्षी क्रमांक 2, 3, 6, 11, 12 की ओर से अधिवक्ता जाकिर हुसैन ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है और विपक्षी क्रमांक 2, 3, 6, 11, 12 भी इसी रास्ते से होकर अपनी भूमि में आवागमन करते है।

विपक्षी क्रमांक 1 की ओर अधिवक्ता सुनिल जैन द्वारा बहस के दौरान निवदेन किया कि प्रार्थीगणो के एवं विपक्षी क्रमांक 2, 3, 6, 11, 12 की आराजी में जाने हेतु अन्य सरकारी रास्ता उपलब्ध है जो आराजी नम्बर 1525 व 1526 की मेड़ पर होता हुआ अपनी आराजी में प्रवेश कर सकता है विपक्षी क्रमांक 1 के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 1542 में प्रवेश से पूर्व आबादी भूमि स्थित है जिस पर विपक्षी के द्वारा मकान बना रखा है और प्रार्थीगण विपक्षी 1 की आबादी भूमि में होकर ही आराजी नम्बर 1542 में रास्ता चाह रहे है जो आराजी काफी कम चौड़ाई में है और आराजी में प्रवेश करने से पूर्व निमार्ण होने से प्रवेश संभव नही है। सिविल न्यायालय द्वारा भी प्रार्थी को कोई राहत प्रदान नही की गई है और न ही अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय द्वारा स्थगन दिया गया है। आबादी भूमि में रास्ते देने का अधिकार श्रीमान के न्यायालय में नही है। इसके अलावा भी अगर भूमि मौके पर रिक्त हो और कोई निमार्ण नही हो तो प्रार्थीगण आ जा सकते है किन्तु वर्तमान परिस्थिति में मौके पर निमार्ण किया हुआ है। प्रार्थीगण की आराजियात में जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु चाहा गया है वो आराजी नम्बर 1542 जो विपक्षी की खातेदारी भूमि है एवं आराजी नम्बर 1543, 1544, 1547 की पश्चिम मेड़ की सहारे चाहा गया है जो विपक्षी क्रमांक 2, 3, 6, 11, 12 की खातेदारी भूमिया है तहसीलदार रायपुर के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई जिसमें यह भी अकिंत गया कि मौके पर प्रस्तावित रास्ते के अलावा आराजी नम्बर 1525, 1526 एवं 1527 की मध्य से आवागमन किया

जा सकता है जिसको नक्शे में हरी स्याही से दर्शाया गया है। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जो बहस के दौरान मौके के फोटोग्राप्स अवलोकन कराये गये उसमें स्पष्ट है कि आराजी नम्बर 1542 में प्रवेश से पूर्व आबादी भूमि है और आबादी भूमि में विपक्षी क्रमांक 1 की ओर से निमार्ण किया हुआ है हालाकि निमार्ण के दौरान दोनो पिलर खड़े कर बड़ा गेटनुमा बना रखा है जिससे विपक्षी अपनी आराजी में प्रवेश करता है आराजी 1542 एवं इसी से आगे अन्य आराजियात में प्रवेश करने से पूर्व आबादी भूमि है और आबादी भूमि में किसी प्रकार का आदेश करना इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार से परे है हालांकि इस प्रकरण में रास्ता कृषि भूमि आराजी संख्या 1542 से चाहा गया है किन्तु इसमें प्रवेश करने से पूर्व आबादी भूमि से होकर आना पड़ेगा और आबादी भूमि में विपक्षी 1 के द्वारा निमार्ण कर देने से और इस बाबत् अन्य न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने से जब तक निर्णय नही हो तब तक इस न्यायालय से आराजी नम्बर 1542 मे रास्ता दिया जाना उचित नही है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार योग्य नही है।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में चाहा गया रास्ते से पूर्व आबादी भूमि होने एवं उस जगह पक्का निमार्ण कर देने से प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना उचित नही है, अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है

निर्णय आज दिनांक 13.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13-8-2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.08.22 14:39:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: